ent)

UMBER ....

....

....

of note of complianc of the Order

राजस्व अपील संख्या 148/2017
अनवान
चैनाराम बनाम ओमाराम वगैरा

दिनांक 23-6-2022

पत्रावली आज पेश हुई । पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । रेस्पो0 संख्या 1 के अधिवक्ता श्री ओ0पी0बूब ने उनके द्वारा दिनांक 25-3-2021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10 सी.पी.सी. के कम मे अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलांट चैनाराम का देहांत माह अप्रेल 2020 मे हो गया था तथा उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति वकील अपीलांट को दिनांक 25-3-2021 को उपलब्ध करा दी जाने पर भी अपीलांट अधिवक्ता ने आज दिन तक अपीलांट के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लाने बाबत कोई कार्यवाही नही की है । अतः अपीलांट की उक्त अपील ऐबेट हो जाने से खारीज करने का निवेदन किया । अपीलांट की ओर से अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलांट के वारिसान से सम्पर्क नही हो पा रहा है इसलिए अपीलांट के कायम मुकाम की कार्यवाही नही हो पाई है ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10 सीपीसी पर बहस सुनी तथा पत्रावली व आदेशिकाओ का अवलोकन किया । अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अपीलांट के फोत हो जाने की सूचना बाबत प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा मे दिनांक 25-3-2021 को प्रस्तुत कर दिया था तथा उसी दिन अपीलांट अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति उपलब्ध कराकर अपीलांट के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लाने की कार्यवाही करने हेतु लगभग 15 अवसर आदेशिकाओ मे दिये जाने के बावजुद आज तक कोई कार्यवाही नही की है । वर्तमान अपील मे अपीलांट चैनाराम अकेला ही अपीलांट होने से उसके कायम मुकाम को रेकर्ड पर नही लाने से अपील स्वतः ही अबेट हो जाती है । अतः रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा दिनांक 25-3-2021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांट की उक्त अपील अपीलांट अधिवक्ता द्वारा कार्यवाही नही की जाने से खारीज की जाती है । पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जाये । निर्णय आज खुले न्यायालय सुनाया गया ।

अति० संभागीय आयुक्त,
जोधपुर